

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कनवास  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प आँवा

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी आँवा

व भू.अ.नि देवली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार

/नायब तहसीलदार कनवास की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम आँवा तहसील कनवास व

जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्बत् 2069-2072 में खाता संख्या 605

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश ( शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है )
	आँवा		<p>रामनिवास रामरतन कुम मंजूबाई कुम. कीतर महावीर लखल पुनसोनी अन्तिमा लखल पुमि भंवरलाल, चडा देवा भंवरलाल, प्रिमंका नाबा. किरण नाबा. व सन्तोषबाई देवा शमकिशन नाबा की वली मादा सन्तोष बाई जाति खरीक सा नामा-सं. 888, 891</p>	<p>रामरतन कुम कीतरलाल हिं रामनिवास कुम कीतरलाल हिं मंजूबाई कुम कीतरलाल हिं 45 महावीर लखल सोनू अनिता पिस भंवरलाल, चडाबाई पुनी स्वश्री भंवरलाल हिं 45 प्रिमंका नाबा, किरण नाबा पुनिसा रामकिशन सन्तोषबाई पुनी स्वश्री रामकिशन नाबा की वली माता सन्तोषबाई हिं जाति खरीक सा देवखातदा</p>



म.स.सि  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :- 242-249

दिनांक :- 2/6/16

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार कनवास को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामदा शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री रामरतन 510 कीतरलाल जाति खरीक सा आँवा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

म.स.सि  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर